कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

पत्रांकः– /पी0–सिं0ख0–2/ दिनांक 24/11/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषय– जनपद टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड में रायपुर–कुमाल्डा मोटर मार्ग के किमी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ– 08बी0/यू0सी0पी0/06/63/2019/एफ0सी0/2112, दिनांक 17.12.2019 एवं कार्यालयल अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2311/एफ0पी0/यू0के0 /रोड़/23941 /2017, दिनांक 30.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के शर्तो की अनुपालना निम्नलिखित है–

क्र0 सं0	शर्ते	अनुपालना
1	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अर्थात 4.165 है0 ग्राम घेना सिविल सोयम पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तानान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अर्थात 4.165 है0 ग्राम घेना सिविल सोयम पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। जिलाधिकारी के आदेश संख्या–522/XI-131(2019-20) दिनांक फरवरी, 19, 2020, नई टिहरी के द्वारा हस्तान्तरण किया जा चुका है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 02 एवं 02बी0
2	Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामन्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–03 के पत्र संख्या– 1298/X-3-21/01(35)2019 दिनांक 05.10.2021 के द्वारा आरक्षित भूमि घोषित कर दी गयी है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 01
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 03
4	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आश्य की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 04 के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 04
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियां (CA Cost. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा करवा दिया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 05

	कम से कम वृक्षो का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 175 वृक्ष एवं 9 Saplings से अधिक न हो।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना में कुल 175 + 9 = 184 वृक्षो का ही पातन किया जायेगा। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 06
7	State Govt. will submit the CA scheme in original to this office. रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 07
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी, का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 08
2	एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 04
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा, का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 09
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित करा दिया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 10
5	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचायेंगे। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 11
6	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी, का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 12
7	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा, का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है।

		संलग्नक– प्रपत्र संख्या 13
	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वार अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जायेगी, का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 14
9	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा, का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 15
10	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होतें हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐंजेंसी की जिम्मेवारी होगीं	उक्त शर्त के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होतें हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐंजेंसी की जिम्मेवारी होगीं, का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 16
11	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के सरंक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	उक्त शर्त के अनुपालन में ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के सरंक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 16 (जो अन्य आवश्यक शर्त संख्या 10 में संलग्न है)

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

पत्रांकः– 1821 /पी0–सिं0ख0–2/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2, नई टिहरी।

24/11/22

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

पत्रांकः– 1771 / पी0–सिं0ख0–2 /   दिनांक 18 / 11 / 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

विषय– जनपद टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड में रायपुर–कुमाल्डा मोटर मार्ग के किमी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ– 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 63 / 2019 / एफ0सी0 / 2112, दिनांक 17.12.2019 एवं कार्यालयल अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2311 / एफ0पी0 / यू0के0 / रोड़ / 23941 / 2017, दिनांक 30.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के शर्तो की अनुपालना निम्नलिखित है–

क्र0 सं0	शर्ते	अनुपालना
1	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अर्थात 4.165 हे0 ग्राम घेना सिविल सोयम पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तानान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अर्थात 4.165 हे0 ग्राम घेना सिविल सोयम पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। जिलाधिकारी के आदेश संख्या–522 / XI-131(2019-20) दिनांक फरवरी, 19, 2020, नई टिहरी के द्वारा हस्तान्तरण किया जा चुका है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 02 एवं 02बी0
2	Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामन्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–03 के पत्र संख्या– 1298 / X-3-21/01(35)2019 दिनांक 05.10.2021 के द्वारा आरक्षित भूमि घोषित कर दी गयी है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 01
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 03
4	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आश्य की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 04 के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 04
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियां (CA Cost. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा करवा दिया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 05

6	कम से कम वृक्षो का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 175 वृक्ष एवं 9 Saplings से अधिक न हो।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त परियोजना में कुल 175 + 9 = 184 वृक्षो का ही पातन किया जायेगा। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 06
7	State Govt. will submit the CA scheme in original to this office. रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 07
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी, का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 08
2	एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 04
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा, का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 09
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित करा दिया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 10
5	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचायेंगे। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 11
6	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी, का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 12
7	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा, का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 13

8	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख ...	उक्त शर्त के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां संभव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने ... संलग्नक– प्रपत्र संख्या 14
9	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा, का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 15
10	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होतें हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐंजेंसी की जिम्मेवारी होगीं	उक्त शर्त के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होतें हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐंजेंसी की जिम्मेवारी होगीं, का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 16
11	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के सरंक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	उक्त शर्त के अनुपालन में ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के सरंक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 16 (जो अन्य आवश्यक शर्त संख्या 10 में संलग्न है)

18/11/22

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

पत्रांकः– /पी0–सिं0ख0–2/ तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2, नई टिहरी।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

प्राप्त किया।
22-11-2022

पत्र प्राप्ति की तिथि 23/11/2022
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
प्राप्तकर्ता का पदनाम

①

वन अनुभाग–03

संख्या– 1298 / X-3-21/01(35)2019

देहरादून : दिनांक 05 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम्–1927 यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–16, वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला टिहरी गढवाल अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु रायपुर–कुमाल्डा–कद्दुखाल मोटर मार्ग 35 कि0मी0 से घेना गांव मोटर मार्ग के प्रयोगार्थ हस्तान्तरित 02.0825 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ड0– अन्य कृषि योग्य भूमि के 04.165 है0 क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन घोषित करने के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0 सं0	जनपद	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रकवा (है0 में)	भूमि का किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	टिहरी गढ़वाल	घेना	सकलाना	11	291 मध्ये	0.750	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी–9(3)(ड.)
				11	301	0.336	
				11	304	2.101	
				11	391	0.260	
				11	420	0.718	
					कुल योग	4.165	

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित क्षेत्र भू–अभिलेखों मे वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या :– 1298 /X–3–21/01(35)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक (Hoff), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. आयुक्त, गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य वन संरक्षक (गढवाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती।
7. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती।
9. उप जिलाधिकारी, धनोल्टी।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब), भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

P.T.O

(2)

::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर–कन्द्रीय क्षेत्र) [illegible] दिनांक 17.12.2019 के द्वारा जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत रायपुर कुमाल्डा मोटर मार्ग किमी0 35 से [illegible] निर्माण हेतु 2.0825 है0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम घेना पट्टी सकलाना की 4.165 है0 सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोल्टी के पत्र संख्या–22/रजि0का0 (जांच) – 20, दिनांक धनोल्टी ,24 जनवरी 2020 द्वारा ग्राम घेना पट्टी सकलाना की भूमि निम्नवत् प्रस्तावित की गई है।

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रकबा(है0में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
घेना	सकलाना	11	291 मध्ये	0750 है0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड.
			301	0.336 है0	
			304	2.101है0	
			391	0.260 है0	
			420	0.718है0	
			योग–	4.165 है0	

प्रस्तावित रायपुर–कुमाल्डा मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या –2882/XVIII(II)/ 11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या –2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010राजस्व अनुभाग –2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित किये गये ग्राम घेना पट्टी सकलाना के खाता संख्या–11 के खसरा नम्बर 291 मध्ये रकबा 0.750 है0,खसरा 301रकबा 0.336 है0, ,खसरा 304 रकबा 2.101है0, 391 रकबा 0.260 है0, 420 रकबा 0.718है0, कुल 4.165 है0 (चार दशमलव एक छःपांच है0) श्रेणी 9(3)ड. (राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन) सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार धनोल्टी तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित /इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

ह0/-
(डा0वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–522/XI–131 (2019–20)दिनांक,नई टिहरी,फरवरी,19 ,2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती/ मसूरी ।
6– अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0,सिं0ख0–2 नई टिहरी।
7– उप जिलाधिकारी धनोल्टी।
8– तहसीलदार धनोल्टी को अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

पंजिका सं0– 08
दर्ज 20.10.2020
XI मिसल सं0 131
(2019-20)
2322 19.2.20

Scanned by CamScanner

ज० लि० ७ नकल खतौनी 1422 फ० - 1427 फ० ग्राम - धोना
पट्टी - सकलाना, तहसील - धनोल्टी, जिला - टिहरी गढ़वाल।

मूलेख पत्र सं० प-11 श्रेणी ६(3) ड- कृषि योग्य बंजर भूमि -

11	उत्तराखण्ड सरकार हाल ६(3)ड कृषि योग्य बंजर भूमि।	बन्दोबस्त से	1	0·053	
			15	0·013	
			17	0·004	
			22	0·005	1427 फ० आदेश मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के आदेश सं० - 522/XI-131 (2019-20) दिनांक टिहरी फरवरी 19, 2020 पर शासनादेश सं० - 2173/XVIII (II)/2012-18 (120)/2010 राजस्व अनुभाग-2, दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार ग्राम - धोना के जा० लि० ७ खतौनी खाता सं०-11 के खसरा नम्बर 291 रकबा 0·750 हे०, 301-0·336, 304-2·101, 391-0·260, 420-0·718 हे० कुल 4·165 हे० भूमि वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अभिलेख दर्ज किया। (हस्ताक्षर) रा०उ०नि० रवाई/कुल्ली
			↓	↓	
			280	0·005	
			291	1·048	
			296	0·019	
			298	0·018	
			301	0·336	
			304	2·101	
			306	0·099	
			↓	↓	
			390	0·070	
			391	0·260	
			393	0·015	
			↓	↓	
			411	0·150	
			420	0·718	
			422	0·698	
			↓	↓	
			2747	0·098	
			2748	0·080	
			1640/2756	0·023	
		योग	303	70·539	मुताबिक असल के नकल तैयार की।

(हस्ताक्षर) 22/2/2020
राजस्व उपनिरीक्षक
स्यारी

(04)

[redacted]

To be filled by the Applicant in CAPITAL LETTERS

DETAILS OF APPLICANT (REMITTER)/आवेदक / प्रेषक का विवरण

Account Number	38597010005110		
	060783	Cheque Date	22012021
Name	CHIEF ENGINEER UPPDA STATE FUND ACCOUNT		
Mobile Number			

DETAILS OF BENEFICIARY/लाभार्थी का विवरण

Beneficiary's Name / लाभार्थी का नाम	UTTARANCHAL CAMPA
Account Number	150876123941502
Bank Name	CORPORATON BANK
IFSC Code (11 digit)	CORP0000371
Branch Address	LODHI COMPLEX NEW DELHI
Confirm Account Number	150876123941502

PURPOSE CODE FOR RTGS

CASH	Cash Management Transfer	INTE	Interest/ब्याज		
CORT	Trade Settlement Payment/ व्यापार निपटान भुगतान	LOAN	Loan / ऋण	TAXS	Tax Payment/ कर भुगतान
DIVI	Dividend/लाभांश	PENS	Pension Payment/ पेंशन भुगतान	TRAD	Trade /व्यापार
GOVT	Government Payment / सरकारी भुगतान	SALA	Salary Payment/ वेतन भुगतान	TREA	Treasury Payment/ट्रेजरी भुगतान
HEDG	Hedging/हेजिंग	SECU	Securities / प्रतिभूति	VATX	Value Added Tax Payment मूल्य वर्धित कर भुगतान
INTC	Intra Company Payment/ इंट्रा कंपनी भुगतान	SSBE	Social Security Benefit/ सामाजिक सुरक्षा लाभ	WHLD	With Holding/रोक

परियोजना का नाम :– प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड में रायपुर कुमाल्डा–कद्दुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से धेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०	पी०एम०जी०एस०वाई०	पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

	(../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/23941/2017) Construction of Km-35 of Raipur-Kumalda-Kaddukhal Motor Road to Ghena	[illegible]	[illegible]	17 Dec 2019	**CA:** 1276702/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1759713/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 3036415/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 04 Jan 2020 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 27 Jan 2020 **Transaction Date** : 28 Jan 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1112121412127ABCKghenadema... Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=...OAD23...
4	FP/UK/ROAD/21822/2016 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/21822/2016) Maroda Banali Motor Road Km 3.00 to Kund Motor Road	ROAD2182220169416	121822941	08 Nov 2019	**CA:** 3152058/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 3587210/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 6739268/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 04 Dec 2019 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 04 Dec 2019 **Transaction Date** : 06 Jan 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/121141226129SP67PDemandletterofMarorabanali.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD2182220169...
5	FP/UK/ROAD/29059/2017 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/29059/2017) Nagani to Mathiyan Gaon Motor Road	ROAD2905920174426	129059442	15 Nov 2018	**CA:** 1630190/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1921725/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 3551915/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 14 Jan 2019 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 15 Jan 2019 **Transaction Date** : 25 Jan 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1113122312168M3L...demandletter.p... Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD29059201744...

06

(7)

योजना का नाम — प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड में रामपुर कुमाल्डा कद्दुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल (69+115 मसूरी वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) वृक्षों में से वास्तविक रूप से कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
खण्ड सिचाई–२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विका[redacted] रायपुर-कुमाल्डा–कददुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव,

ओक प्रजाति के पौधो सम्बंधी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत (ओक) प्रजाति के पौधो का रोपण किया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

प्रभगीय वनाधिकारी
नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनि की रेती

98

योजना का नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड के रक्खुर कुमाल्डा-कददुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से धेना गाँव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

08

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
पी0एम0जी0एस0वाई0.	पी0एम0जी0एस0वाई0.	पी0एम0जी0एस0वाई0.
खण्ड सिचाई–२ नई टिहरी	खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत (ओक) प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज
चम्बा (टि0 ग0)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वनप्रभाग
मुनिकीरेती

योजना का नाम — प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रामपुर कुमाल्डा-कद्दुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को लेबर कैम्प ना लगाये जाने प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों के लिये प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	**सहायक अभियन्ता** पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	**अधिशासी अभियन्ता** पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड में रामपुर कुमाल्डा–कददुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से धेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि सीमांकन सम्बंधी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का सीमांकन किया गया है।

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

योजना का नाम – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रामपुर कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से धेना गाव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को रसोई गैस/ कैरोसिन तेल की आपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

परियोजना का नाम — प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर कुमाल्डा-कद्दुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0. खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0. खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0. खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

(15)

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रामपुर कुमाल्डा-कददुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना का प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के लिये वन भूमि प्रयोग प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये वन भूमि प्रयोग नही किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

[redacted]

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड में रामपुर कुमाल्डा–कददुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा अथवा Strip Plantation हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में स्थानन्तिरत कर दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0.	पी0एम0जी0एस0वाई0.	पी0एम0जी0एस0वाई0.
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में उत्सार्जित मलवे का निस्तारण प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय देख–रेख में अथवा प्रयोक्ता अभिकरण चाहे तो वन विभाग द्वारा किया जा सकता है। निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र नही फेंका जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड में रामपुर कुमाल्डा–कददुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता कि परियोजना में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता विभाग की जिम्मेदारी होगी। तथा अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार [illegible] पर्यावरण, वन एंव अन्य जीव के संरक्षण हेतु आवश्यक प्रयोक्ता विभाग उक्त शर्तो का अनुपालन करेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0.
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0.
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0.
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी